फोनः-4103333, 2362400 फैक्सः-0141-2373513 वर्षः 74 संख्याः 283 प्रभात जयपुर, बुधवार 15 मई, 2024 डाक पं.सं. जयपुर सिटी/001/2021-23 पृष्ठ 8 मूल्य 2.75 रु.

ARBiT

जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

epaper.rashtradoot.com

राष्ट्रदूत

Rashtradoot

Metro

Do We Care for the Elderly?

'Care at home' is no more making sure that the older generation is physically comfortable. It is becoming specialised nursing.

Lab-Made Ovaries

This new data allows us to start building our understanding of what makes a good egg, what determines which follicle is going to grow, ovulate, be fertilized, and become a baby.

'संदेशखाली में आंदोलनकारी महिलाओं को चुप बैठने के लिए 3 से 4 लाख रू. की पेशकश'

गिरफ्तार महिला गीता के पति ने तृणमूल कांग्रेस पर आरोप लगाया

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 14 मई। पश्चिम बंगाल का संदेशखाली क्षेत्र जल रहा है क्योंकि राज्य सरकार यहां एक के बाद एक गिरफ्तारी कर रही है। यहां आठ जनों को गिरफ्तार किया गया है।

गीता नामक महिला जिसे परसों रात्रि गिरफ्तार किया गया था, के पति ने एक ताजा बयान दिया और दावा किया कि बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी के आंदोलनकारियों को विरोध प्रदर्शन से दूर रहने और तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में जाने के लिए तकरीबन 3 से 4 लाख रूपए ऑफर किए थे।

अब भाजपा नेता शॉमिक भट्टाचार्य ने कहा है कि सत्तारूढ़ पार्टी स्थानीय लोगों को डराने-धमकाने के लिए गुण्डों और बाहरी लोगों को ला रही है।

दूसरी ओर, संदेशखाली की महिलाओं ने इस पूरे प्रकरण की किसी केन्द्रीय एजेंसी से जांच कराने की मांग की है। राज्य पुलिस अब पूर्व में लगाए गए हत्या, भूमि कब्जा और यौन दुर्व्यवहार के सभी आरोपों को नकार रही है।

- संदेशखाली में महिलाओं ने सारे मामले की केन्द्रीय जांच एजेन्सी से जांच कराने की मांग की, उनका कहना है कि, राज्य पुलिस तो पूर्व में लगाए गए, हत्या, जमीन पर कब्जा और यौन उत्पीड़न के सभी आरोपों से इंकार कर रही है।
- संदेशखाली में राज्य पुलिस चुन-चुन कर शिकायत करने वाली महिलाओं को निशाना बना रही है, ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि, किसी केन्द्रीय एजेन्सी से जांच शुरू क्यों नहीं करवाई गई है।
- संदेशखाली में तनाव बढ़ता ही जा रहा है। महिलाएं रात में पहरा दे रही हैं। ज्ञातव्य है कि, ममता बनर्जी ने बंगाल की महिलाओं से एक बार कहा था कि, जो भी हाथ लगे, झाड़ू या डंडा, उसे लेकर बाहर निकलें। अब संदेशखाली में महिलाएं वही कर रही हैं। भाजपा व स्थानीय लोगों का आरोप है कि, तृणमूल बाहरी लोगों को बुला रही है, स्थानीय महिलाओं को धमकाने के लिए।

इसे लेकर भी प्रश्न किए जा रहे हैं कि मामलों की जांच राज्य पुलिस कर रही है तो किसी केन्द्रीय एजेंसी से जांच क्यों नहीं करवायी जा रही।

सीनियर एक्टर मिथुन चक्रवर्ती, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एवं तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ प्रचार के लिए हर जिले का दौरा कर रहे हैं।

चक्रवर्ती ने अपनी फिल्मों के कुछ पुराने गाने का उल्लेख किया और मुख्यमंत्री के दावों पर पैरोडी बनाई। उन्होंने कहा कि उन्होंने बंगाल को लेकर गाने गाए, लेकिन अब वह देख रहे हैं कि बंगाल कंगाल बन गया है। उन्होंने यह भी कहा कि ममता चोट लगने के बहाने बना रहीं हैं, जो सिर्फ चुनाव जीतने की ट्रिक है।

तृणमूल कांग्रेस की ओर से भी कई अभिनेता उम्मीदवार हैं। तृणमूल में पूर्व सांसद एवं लोकप्रिय अभिनेता देब भी पार्टी प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वे स्वयं भी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन मुश्किलों का सामना कर रहे हैं क्योंकि संसदीय चर्चाओं के दौरान

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

18 साल से लंबित पट्टा सात दिन में देने के आदेश

जयपुर, 14 मई (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने 18 साल पहले नीलामी में खरीदी गई जमीन का नगर निगम की ओर से पट्टा जारी नहीं करने के मामले को गंभीरता से लिया है और नगर निगम को कहा है कि, वह सात दिन में जमीन का पट्टा जारी करे। ऐसा नहीं करने पर अदालत ने स्वायत्त शासन निदेशक को 21 मई को व्यक्तिगत या

- राजस्थान हाई कोर्ट ने 18 साल पहले नीलामी में खरीदी गई ज़मीन का नगर निगम द्वारा पट्टा जारी नहीं करने को गंभीर माना तथा स्वायत्त शासन निदेशक से कहा कि, सात दिन में पट्टा जारी करें और अदालत में पेश होकर बताएं कि, अब तक पट्टा जारी क्यों नहीं हुआ।

वीडियो कॉन्फ्रैंसिंग के जरिए पेश होकर शपथ पत्र के जरिए पट्टा जारी नहीं करने का कारण बताने को कहा है। जस्टिस महेंद्र कुमार गोयल की एकलपीठ ने यह आदेश मनोज अग्रवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा कि, अदालत में पेश दस्तावेजों से स्पष्ट है कि,

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

उत्तर प्रदेश के शेष चरणों के चुनाव में भारी चुनौतियां हैं भाजपा के समक्ष

राजनैतिक हलकों में सवाल है कि, क्या भाजपा यहां पिछला प्रदर्शन दोहरा पाएगी?

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 14 मई। भाजपा के पहले चार चरणों के मतदान में क्षमता के अनुरूप प्रदर्शन नहीं करने की अटकलों के बीच पार्टी भाजपा अब राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण राज्य, उत्तर प्रदेश में बची हुई सीटों पर मतदान के संदर्भ में एक बड़ी चुनौती की तरफ बढ़ती हुई प्रतीत हो रही है।

अभी तक उत्तर प्रदेश में 80 में से 39 लोकसभा सीटों पर मतदान हो चुका है और बची हुई 41 सीटों पर पांचवे, छठे और सातवें चरण में मतदान होना है। वर्ष 2019 के चुनावों में इन 41 सीटों में से भाजपा ने अपने दम पर 31 सीटें और उसके गठबंधन सहयोगी अपना दल ने 2 सीटें जीती थीं। जिन सीटों पर अभी मतदान होना है, वे पूर्वी उत्तर प्रदेश की हैं। इस क्षेत्र में परम्परागत रूप से, सोशलिस्ट पार्टियां मजबूत रही हैं। हालाकि, भाजपा वर्ष 2014 और 2019 के चुनावों में उनके गढ़ में सेंध लगाने में सफल हो गयी थी। पर सवाल यह है कि क्या भगवा पार्टी इस क्षेत्र में अपना प्रदर्शन दोहरा सकती है?

- तीन चरणों के चुनाव में यू.पी. में 41 सीटों पर चुनाव होगा। गत चुनाव में भाजपा ने इनमें से 31 सीटें जीती थीं, 2 सीटें भाजपा के सहयोगी दलों को मिली थीं।
- अब जिन 41 सीटों पर चुनाव होना है वे पूर्वी उत्तर प्रदेश की हैं और विधानसभा चुनावों में भाजपा को यहां भारी नुकसान उठाना पड़ा था।
- यहां तक कि, अयोध्या की चार सीटों में से भी भाजपा दो ही जीत पाई थी। मुद्दा यह है कि, इस बार के लहर रहित चुनाव में क्या भाजपा 2019 का प्रदर्शन दोहरा पाएगी।
- उत्तर प्रदेश में कुल 80 सीटें हैं, इनमें से 39 सीटों पर मतदान हो चुका है और चर्चा है कि, इन चरणों में भाजपा का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा है।

अगर वर्ष 2022 के विधानसभा चुनावों के नतीजों के दृष्टिकोण से देखे तो भाजपा के लिए यह बड़ी चुनौती है। यद्यपि, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अच्छा काम किया है लेकिन इस क्षेत्र में उनका बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं है। उदाहरण के लिए भाजपा गाज़ीपुर की सातों विधानसभा सीटों पर हार गयी थी और जौनपुर की 9 में से 2 सीटों पर ही जीत हासिल कर पायी थी। इसके अलावा, बलिया में 7 में से 2 और मऊ में 4 सीटों में से एक पर ही जीत पायी थी। आज़मपुर की 10 विधानसभा सीटों में से भाजपा को एक पर भी विजय हासिल नहीं हुई थी और बस्ती में

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

यशवन्त सिन्हा के पौत्र आशिर कांग्रेस में शामिल

आशिर के पिता जयन्त सिन्हा भाजपा सांसद हैं तथा मोदी सरकार में मंत्री रहे हैं

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 14 मई। पूर्व केन्द्रीय वित्त मंत्री यशंवत सिन्हा के पौत्र व लोकसभा में भाजपा के वर्तमान सांसद जयंत सिन्हा के पुत्र आशिर सिन्हा वर्तमान में चल रहे लोकसभा चुनावों के बीच में ही कांग्रेस में शामिल हो गए हैं।

हजारी बाग से भाजपा के सांसद व नरेन्द्र मोदी सरकार के पूर्व केन्द्रीय मंत्री जयंत सिन्हा के बेटे ने एक कार्यक्रम के दौरान, जिसमें कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी उपस्थित थे, पार्टी में शामिल होने की घोषणा की, उस कार्यक्रम में जयंत सिन्हा भी थे।

वर्तमान लोकसभा चुनावों में हजारीबाग (सदर) के विधायक मनीष जायसवाल को भाजपा ने जयंत सिन्हा की जगह हजारीबाग लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में उतारा है।

- इस बार भाजपा ने हजारी बाग से जयन्त सिन्हा के बजाय क्षेत्र के विधायक मनीष जायसवाल को टिकट दिया।
- मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में आशिर ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की, इस दौरान जयन्त सिन्हा भी मौजूद थे।
- हजारी बाग से पहले यशवन्त सिन्हा, फिर उनके पुत्र चुनाव लड़ते रहे हैं, यह पहली बार है जब इस सीट से सिन्हा परिवार से कोई सदस्य चुनाव नहीं लड़ रहा है।

खबर है कि जयंत सिन्हा जो पहले नरेन्द्र मोदी सरकार में केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री रह चुके हैं, उनके भाजपा से संबंध तनावपूर्ण चल रहे थे क्योंकि उनके पिता यशवंत सिन्हा भाजपा पर लगातार हमले बोल कर आलोचना कर रहे थे। ज्ञातव्य है कि उनके पिता भी पूर्व में भाजपा सरकार में केन्द्रीय मंत्री रह चुके हैं।

जयंत सिन्हा ने 2024 का आम चुनाव नहीं लड़ने की इच्छा प्रकट की थी, क्योंकि वे वैश्विक भारत में बदलते जलवायु परिवर्तन से लड़ने पर ध्यान केन्द्रित करना चाहते हैं। इस बीच उनके पुत्र आशिर सिन्हा बरही में आयोजित

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

जिंदा बम प्रकरण में नाबालिग को जमानत

जयपुर, 14 मई (का.सं.)। सुप्रीम कोर्ट ने शहर में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के दौरान जिंदा मिले बम के मामले में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे नाबालिग आरोपी को सशर्त जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने मामले की सुनवाई कर रहे किशोर न्याय बोर्ड को प्रकरण की सुनवाई तीन

- सुप्रीम कोर्ट ने, जयपुर में 13 मई को हुए सीरियल बम धमाकों के नाबालिग आरोपी को सशर्त जमानत दे दी और मामले की जांच तीन माह में पूरी करने के आदेश दिए।

माह में पूरी करने के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश नाबालिग आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। अतिरिक्त महाधिवक्ता शिवमंगल शर्मा ने बताया कि, कानून के अनुसार किसी भी किशोर आरोपी को तीन साल से अधिक की सजा नहीं दी

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

ई.वी. चार्जिंग स्टेशन्स लगाने के लिये आधारभूत ढांचा स्थापित करने की राह आसान हुई

भारत पैट्रोलियम की राजस्थान विद्युत नियामक आयोग में दायर याचिका के आधार पर सभी डिस्कॉम्स ने नीति में बदलाव का फैसला किया

-यादवेंद्र शर्मा-

जयपुर, 14 मई। भारत पेट्रोलियम (बी.पी.सी.एल.) द्वारा प्रदेश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (ई.वी.) को चार्ज करने के लिये ऐसे 'चार्जिंग स्टेशन' और आधारभूत ढांचा प्रदान करने के संबंध में राजस्थान विद्युत नियामक आयोग (आर.ई.आर.सी.) में याचिका दायर की गई थी। याचिका में कहा गया कि प्रदेश में ई.वी. को चार्ज करने के लिये आधारभूत ढांचा इसलिये तैयार नहीं किया जा सका है क्योंकि मुख्य तौर पर 50 किलोवॉट से बड़े चार्जिंग स्टेशन को स्थापित करने के लिये हाईटेंशन वायर (एच.टी.) लगाना पड़ता है, जिसके लिये चार्जिंग स्टेशन लगाने वाले को स्थापना शुल्क, स्थाई शुल्क, ट्रांसफार्मर को स्थापित करने के खर्चे व अन्य खर्चों को वहन करना पड़ता है जिससे चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की लागत बहुत ऊंची हो जाती है। इस

- आयोग के समक्ष सुनवाई के दौरान सभी विद्युत निगमों ने याचिकाकर्ता की गुहार पर स्वतः ही आदेश पारित किये कि, बड़े ई.वी. (इलैक्ट्रिक वीहिकल) चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिये लो टैंशन वायर उपयोग में लिये जा सकेंगे। इससे पहले हाई टैंशन (एच.टी.) वायर प्रयुक्त करना पड़ता था जिसमें भारी खर्च आता था।
- सभी निगमों ने आदेश में यह भी कहा कि, चार्जिंग स्टेशन की स्थापना के लिये लगाये जा रहे ट्रांसफॉर्मर का केवल किराया ही रीटेल आउटलैट लगाने वाले को देना होगा, जिसमें भी तीन प्रतिशत डिसकाउन्ट दिया जायेगा।
- याचिकाकर्ता के वकील शशांक अग्रवाल ने अदालत को कहा था कि, केंद्र सरकार की 2022 की नीति के अनुसार देश में 2030 तक वाहनों की कुल संख्या का 30 प्रतिशन इलैक्ट्रिक वीहिकल होने चाहिये परंतु डिस्कॉम्स की नीतियों के अनुसार बड़े चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिये समर्पित एच.टी.लाइन लगानी होती है और ट्रांसफॉर्मर भी खरीदने पड़ते हैं, जिससे केन्द्र सरकार की नीति का क्रियान्वयन अव्यवहारिक व असंभव होता जा रहा है।

याचिका में आर.ई.आर.सी. से गुहार की गई थी कि वे डिस्कॉम्स के नियमों में ई.वी.चार्जिंग को शामिल करें और डिस्कॉम्स को आदेश दें कि 60 से 200 किलोवॉट की क्षमता के चार्जिंग स्टेशन को स्थापित करने के लिये लो टेंशन (एल.टी.) 'वायर' लगाने के नियम बनाएं और हाई टेंशन वायर लगाने के

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

झुंझुनूं में कांग्रेस के बृजेन्द्र ओला का पलड़ा भारी

पर कम मतदान ने चिंता बढ़ा रखी है

झुंझुनूं,14 मई (निसं)। लोकसभा चुनाव होने के बाद अब सब तरफ नतीजों का इंतजार है और इसी के साथ कयासों का बाजार भी गर्म है जहां तक झुंझुनूं सीट का सवाल है सट्टा बाजार और आम अटकलों में कांग्रेस के बृजेन्द्र ओला की जीत तय बताई जा रही है।

पर भाजपा और भाजपा समर्थक भी तर्कों के साथ जीत के दावे कर रहे हैं। लेकिन झुंझुनूं लोकसभा में इस बार 52.29 प्रतिशत मतदान होने के चलते यह साफ हो चुका है कि चुनावों में चाहे कांग्रेस जीते या फिर भाजपा। लेकिन जीत हार का अंतर 50 हजार से अधिक का नहीं होगा।

मतदान प्रतिशत कम रहने के भी अपने अपने तर्क दिए जा रहे हैं। कुछ का कहना है शादियों का मौसम था तो कुछ कह रहे है गर्मी बहुत ज्यादा रही। इसी के साथ दोनों ही प्रत्याशियों की टिकट की घोषणा काफी देरी से हुई, जिसके कारण प्रचार-प्रसार का पर्याप्त समय नहीं मिला और कोई भी प्रत्याशी चुनावी माहौल भी नहीं बना पाया। खेतों में फसल कटाई में मशगूल ग्रामीण मतदाताओं का कहना है कि उन्हें तो एक दिन भी ऐसा नहीं लगा कि चुनाव है और चुनावी माहौल है। इसके साथ-साथ दोनों ही पार्टियों के नेताओं व कार्यकर्ताओं में प्रचार को लेकर भारी उदासीनता देखी गई। दोनों दलों के विधानसभा क्षेत्रों के बड़े नेता भी सिर्फ चेहरा दिखाने तक ही सीमित रहे। उन्होंने अपना कोई दम-खम नहीं दिखाया तो कार्यकर्ता भी घर से नहीं निकला। लोगों का तो यहां तक कहना है कि दोनों पार्टियों ने जो बूथ एजेंट तय किए थे। वो सिर्फ टाइमपास करने के लिए बूथ पर बैठे रहे। कोई बूथ मैनेजमैंट नहीं दिखा यहां तक कि भाजपा जो बूथ मैनेजमैंट के लिए जानी जाती हैं वहां भी उदासीनता रही।

कांग्रेस प्रत्याशी बृजेंद्र ओला के समर्थन में चाहे सभी कांग्रेसी एक जाजम पर दिखे हो। लेकिन उन्होंने कोई मेहनत नहीं की। जब बृजेंद्र ओला उनके क्षेत्रों में आए तो वे उनके साथ दिखे। इसके अलावा उन्होंने घर पर आराम किया।

यही हाल भाजपा नेताओं का था, वे भी प्रत्याशी शुभकरण चौधरी के साथ सिर्फ दौरों में ही दिखे। कार्यकर्ताओं और नेताओं की निष्क्रियता को देखकर हार जीत के बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है।

झुंझुनूं का सट्टा बाजार पिछले करीब एक महीने से स्थिर है। सट्टा बाजार में भाव कांग्रेस के पक्ष में हैं। सट्टा बाजार की माने तो कांग्रेस प्रत्याशी बृजेन्द्र ओला की जीत तय बता रहा है। उनका भाव 15 पैसे है वहीं भाजपा प्रत्याशी शुभकरण चौधरी का भाव 3 रूपए है, सट्टा बाजार में जिस प्रत्याशी या पार्टी का भाव जितना कम होता है उसकी जीत की संभावना उतनी ही अधिक होती है और जिस प्रत्याशी या पार्टी का भाव अधिक होता है उसकी हार के चांस ज्यादा होते हैं। सटोरिए तो एक तरह से कांग्रेस को जिता चुके हैं। लेकिन सटोरिए भी अंदर ही अंदर आशंकित हैं क्योंकि कम वोटिंग ने सारे आंकडों को बिगाड़ कर रख दिया है।

- झुंझुनूं में मतदान 52.29 प्रतिशत ही रहा है, इसलिए संभावना है कि, हार-जीत का अंतर 50 हजार मतों तक ही रहेगा।
- क्षेत्र में चुनाव को लेकर भारी उदासीनता दिखी। स्थानीय ग्रामीणों का भी कहना था कि, इस बार ऐसा नहीं लगा कि, चुनावी माहौल है, नेता व कार्यकर्ता भी उदासीन दिखे।
- सूत्रों ने बताया कि, स्थानीय नेता प्रत्याशियों के दौरों के समय ही सक्रिय दिखे, बाकी समय वे घरों से बाहर नहीं निकले।
- सट्टा बाजार ने भी कांग्रेस के बृजेन्द्र ओला की जीत की भविष्यवाणी की है, पर कम मतदान से सटोरिए भी चिंता ग्रस्त हैं।

सामान्य तौर पर किसी चुनाव में मतदान के बाद, कौन जीतेगा, कौन हारेगा का आकलन लगाना बंद हो जाता है, क्योंकि ऐसा मान लिया जाता है कि, उम्मीदवारों का भविष्य तो ई.वी.एम. मशीनों में बंद हो गया, किसी तरह की आकलनबाजी व्यर्थ है, तथा समय की बर्बादी ही है। पर, हमारे संवाददातों का कहना है कि, चुनाव को समझने का, हार-जीत की संभावनाओं, वोटिंग के ट्रैंड के बारे में चर्चा करने का यही समय है। क्योंकि, पार्टियों के कार्यकर्ता भी पोलिंग बूथ में अपनी ड्यूटी पूरी करके "रिलैक्स्ड" मूड में आ गये होते हैं, तथा अब कुछ गहरायी से, कुछ शांति से, उन्होंने पोलिंग स्टेशन पर जो देखा व महसूस किया, वो बताने को तैयार हैं। लगभग ऐसी ही स्थिति पार्टियों के नेता, उम्मीदवारों के समर्थकों की होती है। मतदान के पूर्व वह शुभ-शुभ के अलावा कुछ बोलना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनके कुछ कहने से, उनके शब्दों व वाक्यों को तोड़-मोड़ कर पेश करके कुछ वोट काटे जा सकते थे। पर, जब मतदान ही हो गया तो वोट को हानि पहुंचाने की यह संभावना भी खत्म हो गयी है। अतः अब ये लोग भी अपना सही आकलन देने में नहीं हिचकिचाते।

अतः अब इन लोगों से बात करके हमारे संवाददाता सीट के बारे में अपना आकलन पुनः गहरायी से पेश करना चाह रहे हैं। उसी श्रृंखला में तीसरी कड़ी हम प्रस्तुत कर रहे हैं।